

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 162/22

तारीख दायर 10/5/22

प्रेषित :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या .....162..... / 2022 पत्थरगढ़ी बाबत।

पन्ना पुत्र भैरु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. शम्भूलाल पुत्र डालु जाति जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. रंगलाल पुत्र रुपा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नानालाल पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. रमेश पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. राजु पुत्र कालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी किशननिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम किशननिवास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 35 पर अंकित आराजी संख्या 275/79 रकबा 0.5699 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणों को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ